संख्याः 1355/VIII/16–27(श्रम)/2016

प्रेषक,

एस॰ रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।

4 अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/संचिव,
समस्त विकास प्राधिकरण।

5. निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सीडा, सिड़कुल, देहरादून।

7. विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, सिचाई,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,

8. प्रबन्ध निदेशक,
के॰एम॰वी॰एन॰,जी॰एम॰वी॰एन॰,
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, उत्तराचंल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम।

श्रम सेवायोजन अनुभाग देहरादूनः: दिनांकः 22 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2016

विषयः– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित **भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996** एवं **भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996** के तहत समस्त निर्माण कार्यों से **निर्माण लागत का 01 % की दर से** उपकर की वसूली का प्राविधान है। प्राप्त उपकर से निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं के संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभागों द्वारा कराये जा रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की कुल अनुमोदित डी॰पी॰आर॰ का 01% उपकर राशि की कटौती करते हुए इस धनराशि को **सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/विभागीय पोर्टल uk.labour.gov.in में जाकर Establishment/Registration under B.O.C.W में ऑन लाईन जमा कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. **निजी क्षेत्र के आवासीय/अनावासीय भवनों के लियेः–** ऐसे भवन पात्रता की श्रेंणी में आयेंगे जिनकी कुल निर्माण लागत रू.10,00,000(रूपये दस लाख) से अधिक है या निर्माण कार्य के दौरान किसी एक दिन 10 श्रमिकों या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा कार्य किया गया हो।

इस हेतु सेस का निर्धारण निम्न सारणी अनुसार किया जायेगाः–

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न आय वर्ग तथा अनावासीय सम्पतियों के कर निर्धारण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारणः–

क्र. सं.	भवनों का प्रकार	भूखंड का प्रकार (वर्ग मी. क्षेत्रफल)	समतुल्य कुर्सी क्षेत्रफल(वर्ग मी. क्षेत्रफल)	लो.नि.वि.के समतुल्य श्रेणी	कुर्सी क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मी. (Load Bearing Construction)		कुर्सी क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मी. (RCC Framed Structure)	
					पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू.में	मैदानी क्षेत्र हेतु रू.में	पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू.में	मैदानी क्षेत्र हेतु रू.में
(अ) आवासीय सम्पत्तियाँ								
1	दुर्बल आय वर्ग	50 वर्ग मी. तक के भूखण्ड	42.95 वर्ग मी.	श्रेंणी–1 के भवन	17210	14500	–	–
2.	अल्प आय वर्ग	50 वर्ग मी. से अधिक तथा 100 वर्ग मी. तक	57.70 वर्ग मी. से 79.00 वर्ग मी.	श्रेंणी–2 एवं 3 के भवन	17210	14500	–	–
3.	मध्यम आय वर्ग	100 वर्ग मी. से अधिक तथा 200 वर्ग मी. तक	125.00 वर्ग मी. से 178.00 वर्ग मी.	श्रेंणी–4 के भवन	18870	15900	21320	17970
4	उच्च आय वर्ग	200 वर्ग मी. से अधिक	225.00 वर्ग मी.	श्रेणी–5 के भवन	20530	17300	21320	17970
(ब) अनावासीय सम्पत्तियाँ								
1	मध्यम अनावासीय	200 वर्ग मी. तक	–	–	19440	16380	21110	17790

भवनों हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण निर्माण कार्यों की लागत के आधार पर समय–समय पर पुनरीक्षित किया जायेगा।

4. **उपकर जमा कराने हेतु प्रक्रिया–** उपरोक्त श्रेणीनुसार संलग्न प्रारूप–1 पर प्राधिकारी/आर्किटेक्ट द्वारा निर्धारित उपकर को निम्नानुसार जमा कर सकता हैः–

A- संबंधित व्यक्ति स्वयं आंकलित धनराशि को **सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/विभागीय पोर्टल uk.labour.gov.in में जाकर Establishment/Registration under B.O.C.W के माध्यम से ऑन–लाईन भी जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करें।

B- मानचित्र स्वीकृत करने वाले स्वीकृता प्राधिकारी 01% उपकर की कटौती करके संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में जमा करें।

GO LETTER

शासन की अधिसूचना संख्या 474(2) / VIII /12–35(श्रम) / 2011 दिनांक 17 मई 2012 एवं अधिसूचना संख्या 178 / VIII / 680(श्रम) / 2002 दिनांक 02 फरवरी 2015 के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण हेतु निर्धारण अधिकारी / प्राधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**।

5. समस्त विकास प्राधिकरण, विभिन्न निगमों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के स्तर पर निर्माण कार्यो हेतु मानचित्रों की स्वीकृति के समय की जाने वाली शुल्क की कटौती के साथ ही निर्माण लागत के 01% उपकर की कटौती का प्रमाण प्राप्त होने के पश्चात ही मानचित्र की स्वीकृति जारी किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

6. कृपया उपरोक्त दरों के अनुसार विभिन्न आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियों के निर्माण कार्य पर उपकर की कटौती करने तथा उपकर की धनराशि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / चैक / ऑन लाईन माध्यम से जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.रामास्वामी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्याः– (1) / VIII / 16–27(श्रम) / 2016, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः–

1. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी / सदस्य सचिव भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. राज्य के अन्तर्गत निर्माण कार्य से संबंधित समस्त कार्यदायी संस्था के राज्य प्रमुखों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

GO LETTER

प्रारूप-1

पंजीकृत वास्तुविद / आवंटी का प्रमाण पत्र रू0 दस के स्टाम्प पेपर पर (निर्माण लागत हेतु)

"यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती...........................(आवेदक का नाम) के भूखण्ड/भवन संख्या-..........................का कुल आच्छादित क्षेत्रफल............ वर्ग मीटर है। एवं जिसकी निर्माण दर (विस्तृत गणना शीट प्रमाणित अनुसार) प्रति वर्ग मीटर ....है। भवन की कुल निर्माण लागत रू0 ....है।"

विवरण

भूखण्ड/भवन संख्या-............... ....
योजना-...
शहर-...

उपरोक्त समस्त सूचनाएं एवं गणना सही है।

आवंटी के हस्ताक्षर दिनांक सहित
नाम-
पता-

पंजीकृत आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर जिनके द्वारा भवन/भूखण्ड के निर्माण लागत की गणना की गई है।
नाम-
COA पंजीकरण संख्या-
पता सहित मोहर-

संलग्नक:- विस्तृत गणना शीट (प्रमाणित)